



समायोजति सकल राजस्व (AGR)

परीलम्स के लयि -

AGR, दूरसंचार वभिग, TDSAT

मेन्स के लयि-

भारतीय दूरसंचार कषेत्र के समकष चुनौतयिँ

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार वभिग द्वारा नरिधारति समायोजति सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue-AGR) की गणना प्रक्रया के खिलाफ दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनयिँ की याचका खारजि कर दी।

क्या था मामला?

- भारत के [नयितरक और महालेखा परीकषक](#) (Comptroller and Auditor General-CAG) ने अपनी एक रपिरट में दूरसंचार कंपनयिँ पर 61,064.5 करोड़ रुपए की बकाया राश प्रदर्शति की थी।
- दूरसंचार वभिग द्वारा दायर याचका में वभिग ने कुल बकाया शुल्क पर ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज की मांग की, जसिका नजिी कंपनयिँ ने वरिोध कयि।
- न्यायालय ने केंद्र सरकार को कंपनयिँ से AGR की वसूली की अनुमति दे दी है, जो लगभग 92,641 करोड़ रुपए है। इसमें 25% ही वास्तविक बकाया है, बाकी रकम ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज है।
- भारतीय एयरटेल पर लाइसेंस शुल्क के रूप में लगभग 21700 करोड़ रुपए और वोडाफोन, आइडिया पर 28,300 करोड़ रुपए का बकाया है।
- बाकी प्रतसिप्रदधयिँ की तुलना में रलियंस जयिो को मात्र 13 करोड़ रुपए देने की आवश्यकता है।

समायोजति एकल राजस्व क्या है?

- एजीआर (AGR) की अवधारणा का विकास वर्ष 1999 की नई दूरसंचार नीतिके तहत हुआ।
- इसी नीतिके अनुसार कंपनयिँ को लाइसेंस शुल्क और आवंटति स्पेक्ट्रम के उपयोग शुल्क का भुगतान 'राजस्व अंश' के रूप में करना होता है।
- सामान्य अर्थों में राजस्व की जो मात्रा इस राजस्व अंश की गणना में प्रयोग की जाती है उसे समायोजति सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue-AGR) कहते हैं।
- लेकिन दूरसंचार वभिग (DoT) के अनुसार, इस गणना में दूरसंचार कंपनयिँ द्वारा अर्जति की गई सभी प्रकार की आय, गैर दूरसंचार स्रोतों जैसे- जमाराशयिँ पर ब्याज या संपत्त विक्रय से प्राप्त आय भी शामिल होनी चाहयि।
- जबकि दूरसंचार कंपनयिँ के अनुसार, AGR की गणना प्रमुख रूप से दूरसंचार सेवाओं से अर्जति आय पर ही की जानी चाहयि।

वविद के कारण

- वर्ष 2005 में सेल्युलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Cellular Operation Association of India) जसिमें एयरटेल और वोडाफोन तथा आइडिया जैसी कंपनयिँ शामिल थीं, ने दूरसंचार वभिग की इस गणना प्रक्रया को चुनौती दी।
- उल्लेखनीय है कि दूरसंचार वविद समाधान एवं अपील प्राधकिरण (Telecom Disputes Settlement and appellate tribunal-TDSAT) के वर्ष 2015 के नरिणय के अनुसार, AGR के अंतरगत पूंजीगत प्राप्तयिँ, गैर-दूरसंचार गतवधियिँ से प्राप्त आय, संपत्त की बकिरी, लाभंश, ब्याज और अन्य आय को छोड़कर बाकी सभी प्राप्तयिँ शामिल थीं। दूरसंचार वभिग ने इसके वरिोध में याचका दायर की।

न्यायालय के फैसले के दूरगामी प्रभाव

- उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का उन कंपनियों, जिन पर बकाया राशि अधिक है, पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इनमें वोडाफोन इंडिया लिमिटेड शीर्ष पर है।
- इस फैसले से सरकार को भी अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।
- इस फैसले के बाद दूरसंचार बाजार के द्विध्रुवीय होने की पूरी संभावना है।

दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील प्राधिकरण

(Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal-TDSAT)

- TDSAT की स्थापना वर्ष 2000 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम (Telecom Regulatory Authority of India Act), 1997 के तहत की गई थी।
- इसका गठन दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिये किया गया था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/adjusted-gross-revenue>

